

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 05/2021

अनवान

1. श्री देबी लाल पिता श्री लक्ष्मीनारायण मण्डोवरा(महाजन)निवासी हमीरगढ हाल मुकाम आर सी व्यास कॉलोनी, भीलवाडा तह भीलवाडा जिला भीलवाडा राज0

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगन्नाथ पुत्र पिथा जाति माली निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ।
2. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि श्री जगदीश चन्द्र मण्डोवरा निवासी हमीरगढ।
3. श्री प्रहलादराय पिता रामस्वरूप मण्डोवरा निवासी हमीरगढ।
4. श्री मनोहरी लाल पिता श्री रामस्वरूप मण्डोवरा निवासी हमीरगढ हाल मुकाम ए-389 विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाडा तह व जिला भीलवाडा।
5. श्री सुरेश चन्द्र पिता श्री रामस्वरूप मण्डोवरा निवासी हमीरगढ।
6. श्री सुरजमल पिता रामचन्द्र महाजन निवासी हमीरगढ।
7. श्री राजु लाल पिता श्री नाथु लाल विजयवर्गीय निवासी हमीरगढ।
8. श्री शंकर लाल पिता श्री मोहन लाल तेली निवासी हमीरगढ।
9. श्रीमति लीला देवी पत्नि श्री शान्ति लाल खटीक निवासी हमीरगढ।
10. श्री लादु लाल पिता श्री मांगी लाल पारिक निवासी कान्याखेडी तह हमीरगढ।
11. श्री श्याम सुन्दर पिता मगनीराम जाति भाण्ड निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ।
12. श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री भैरु लाल सुवालका निवासी जोधडास तह व जिला भीलवाडा राजस्थान।
13. श्री शंकर लाल पिता श्री कल्याण सुवालका निवासी भवानीपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 24.02.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.01.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 485 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1210 रकबा 0.2276 है0, आराजी नम्बर 1217 रकबा 0.1517 है0, आराजी नम्बर 3728 रकबा 4.2487 है0, आराजी नम्बर 4837/1216 रकबा 0.7879 है0 कुल किता 04 रकबा 5.4159 है0। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.01.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 13 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

-:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 485 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1210 रकबा 0.2276 है0, आराजी नम्बर 1217 रकबा 0.1517 है0, आराजी नम्बर 3728 रकबा 4.2487 है0, आराजी नम्बर 4837/1216 रकबा 0.7879 है0 कुल किता 04 रकबा 5.4159 है0। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 2200/-रु0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैंसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)